अवैध डोडा पोस्त जब्त

निवाई। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रोडवेज की बस में रखे दो लावारीस बैगों में करीब 2 लाख 75 हजार रुपए की लागत का 18.233 किलोठाम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थो की रोकथाम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी व डीवाईएसपी मृत्युन्जय मिश्रा के सुपर पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गुंसी चोकी के सामने नाकाबंदी के दौरान चित्तोडगढ डीपो की राजस्थान रोडवेज की बस की चैकिंग की गई। इस दौरान बस मे रखे दो लावारीस बैग में करीब 18.233 किलोठाम डोडा पोस्त अवैध मादक पदार्थ मिला। जिसको जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की अनुमानित किमत करीब 2 लाख 75 हजार रूप है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अनुसंधान जारी किया है।

महासभा की बैठक आयोजित

कोटपूतली। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक बुधवार को आयोजित हुई। जिसमें आगामी 13 जुलाई को जिला सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

खोया पाया

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की योजना रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या ए9/एआई/08 के क्षेत्रफल 1250.00 व.मी. की लीजडीड दिनांक 15.09.2014 को श्रीनारायण पुत्र भौरीलाल के नाम से जारी किया गया तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.12.2020 को श्रीनारायण मीणा पुत्र भौरीलाल द्वारा मैसर्स रजनी रियल एस्टेट जरिये पार्टनर श्री हितेश इकदाया पुत्र अशोक कुमार सैनी को कर दिया गया। उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज कहीं गुम हो गये हैं। जिस किसी सज्जन को मिले तो कृपया सूचित करने का कष्ट करें। **मो. 7737474883**

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या दीपांक्षी कासलीवाल पुत्री श्री राजेन्द्र कासलीवाल ने प्लाट नम्बर 68 (पूर्वी हिस्सा) योजना शिव नगर, दादी का फाटक, बैनाड रोड, जयपुर जिसका कुल क्षेत्र. 98.33 वर्गगज़ को श्री जगदीश प्रसाद कुमावत से दिनाक 18.11.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया है तथा उक्त सम्पति को दीपांक्षी कासलीवाल ने BAJAJ HOUSING FINANCE LTD(LOAN NO.H419HHL0392915) से ऋण प्राप्त कर बंधक रख रखा है व दीपांक्षी कासलीवाल द्वारा उक्त सम्पति पर लिये गये ऋण राशि की अदायगी HDFC BANK LTD से ऋण प्राप्त कर कि जा रही है तथा उक्त सम्पति के समस्त मूल दस्तावेज़ दीपांक्षी कासलीवाल द्वारा HDFC BANK LTD मे ऋण खाता संख्या 704304476 मे जमा करवायेंगी तथा मेरी अभिभाष्या एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पति को बंधक रखना चाहती है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को उक्त सम्पति के बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज़ हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
(रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट, मो.नं. 9829256466

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2025/डी-1551 दिनांक:8/7/25
विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या आई-184 क्षेत्रफल 120.00 वर्गगीटर की लीजडीड हेतु श्री अजय खोसला पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार खोसला द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, जविप्रा द्वारा जारी आवंटन/कब्जा पत्र की प्रति, आवंटन पत्र गुम होने के एफ.आई.आर./ समाचार पत्र की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आधार पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन पत्र जविप्रा द्वारा दिनांक 15.05.2006 को कब्जा पत्र दिनांक 23.07.2012 को श्रीमती वेद खोसला पत्नी श्री जितेन्द्र जुगार खोसला के पक्ष में किया गया है। श्रीमती वैद की मृत्यु दिनांक 22.05.2018 को हो चुकी है उनके पति श्री जितेन्द्र कुमार खोसला की मृत्यु दिनांक 29.04.2023 को हो चुकी है। श्री अजय खोसला नोमिनी के आधार पर लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। अत अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, जविप्रा द्वारा जारी आवंटन / कब्जा पत्र की प्रति, आवंटन पत्र गुम होने के एफ.आई.आर./ समाचार पत्र की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आधार पर यदि किसी संस्था/व्यक्ति / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा 7 दिवस पश्चात् भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। **उपायुक्त, जोन-13**
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

खोया पाया

मै रितु अग्रवाल दुकान नं G-10 नंदपुरी स्वेजफार्म अम्बेश्वर गृह निर्माण समिति लि. जयपुर रजिस्टरेशन नं. 2826/L रसीद संख्या.5971 मूलपट्टा व रसीद कहीं गुम हो गया है किसी को मिले तो संपर्क करें-9799753188

मै सुरेश सिंह पुत्र स्व. मेजर कैलाश सिंह, निवासी बी- 1/106, चित्रकूट नगर, वैशाली नगर, जयपुर मेरे स्वामित्व का एक प्लॉट 35-ए, मयूर विहार, जगतपुरा, जयपुर का गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर, द्वारा जारी ओरिजनल सोसायटी पट्टा, कही खो गया है। मिलने पर सूचित करे- 9875004444

मेरे मकान 1/10 मालवीय नगर जयपुर का मूल डिक्लेरेशन लेटर (तिथी- 13-08-1981) मालवीय नगर में कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें- मुक्त बिहारी- 9829060086

मेरे मकान B-64 कल्पना नगर, का मूल कब्जा पत्र जयपुर में कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें- मुरलीधर मीणा- 9799297321

आवासीय योजना-मारूति नगर, एयरपोर्ट रोड, सांगानेर, जयपुर के फ्लेट/यूनिट नम्बर एलजी-1 प्लॉट नम्बर 21 का मूल विक्रय-पत्र (कपिश्वर इन्फ्राबिल्ड एलएलपी से सन्तरा देवी) कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। सन्तरा देवी, मोबाईल नम्बर 9257836337

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

शिविर में कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, फीडबैक लेकर समाधान के निर्देश

- थानागाजी के ग्राम सुरजनपुर में लगा अंत्योदय संबल शिविर, बेटियों का जन्मोत्सव मनाया

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने थानागाजी क्षेत्र का दौरा कर ग्राम पंचायत सुरजनपुर में पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडे के अंतर्गत आयोजित शिविर व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय पुलिस थाने का निरीक्षण किया । जिला कलेक्टर ने सूरजनपुर शिविर में विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण कर आमजन के किए जा रहे काम का अवलोकन किया। उन्होंने लाभार्थियों एवं आमजन से संवाद कर शिविर में लाभ प्राप्त करने एवं शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी व बीडीओ को निर्देश दिये कि कैम्पों में प्राप्त हुई परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने लाभार्थियों को मृदा स्वास्थ्य कार्य का वितरण किया।

कलेक्टर ने एसडीएम, तहसील कार्यालय व पुलिस थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान कलेक्टर ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष जिलेभर में सरकारी विभागों व आमजन की सामूहिक सहभागिता से वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इसमें बढचढकर अपना योगदान करें। साथ ही पौधा लगाने के साथ-साथ उसकी सार-संभाल करें तथा अन्य लोगों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित करें । उन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों की जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं पर उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिये कि त्रि-स्तरीय व्यवस्था के तहत आयोजित जनसुनवाई एवं नियमित जनसुनवाई कर फरियादियों की परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण फरियादियों के संतुष्टि स्तर में वृद्धि करें।

उन्होंने निर्देश दिये कि मनरेगा के तहत अधिकाधिक कार्य स्वीकृत करें तथा मांग के अनुरूप काम उपलब्ध करावे। इसके साथ उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि टीम के माध्यम से घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करावे। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया ।

गंगाजल लाने के लिए शिवभक्त रवाना

- 30 वर्षों से हरिद्वार से पैदल चलकर पावटा गंगाजल कावड़ यात्रा लाकर कर चुके है बाबा भूतनाथ का अभिषेक

पावटा। बाबा भूतनाथ कमेटी पावटा के सानिंध्य मे बुधवार को गंगाजल लाने के लिए 31 कावड़ यात्रियों का एक जत्था पावटा से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ।

उक्त जानकारी देते हुए बाबा भूतनाथ कमेटी संरक्षक दिनेश शर्मा, रामोतार शर्मा, जम्मन राठी, पवन सैनी, प्रमोद शर्मा ने बताया कि बाबा भूतनाथ कमेटी पावटा के सानिंध्य मे बुधवार को कावड यात्रियों का दल शाम 5 बजे बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम मंदिर महंत जयरामदास महाराज द्वारा पूजा अर्चना कर पावटा से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया।

वही हरिद्वार से गंगाजल भरकर 21 जुलाई को हरिद्वार से गंगाजल भरकर वापस पावटा में सुनील शर्मा के सान्निध्य व राजेश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित शिव शक्ति कावड़ शिविर में विश्राम करेंगे। वही 22 जुलाई मंगलवार को विशाल कावड़ शोभायात्रा नगर भ्रमण करते हुए बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम पहुंचेगी।

जहाँ 23 जुलाई बुधवार को गंगाजल से बाबा भूतनाथ का जलाभिषेक किया जायेगा। गौरतलब है कि भूतनाथ कमेटी पावटा शिव भक्तो द्वारा विगत 30 वर्षों से हरिद्वार से पैदल चलकर पावटा गंगाजल कावड़ लाई जाती है।

उसी गंगाजल से कावड़ियों, शिव भक्तो व ग्राम जनता द्वारा बाबा भूतनाथ का अभिषेक किया जाता है।

पं. उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की संकल्पना साकार

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजत शिविर सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला फागी उपखण्ड के सवाई जयसिंहपुरा पंचायत का बकूनी गांव में। जहां जिला प्रशासन की पहल से बुधवार को 59 खातेदारों के बीच 70 साल पुराने 28 खसरों की 192 बीघा भूमि विवाद का सुखद अंत हुआ। उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों का आयोजन किया गया। जिसके तहत सवाई जयसिंहपुरा के बूकनी गांव में 70 सालों से चले आ रहे भूमि विवाद के निस्तारण के लिए प्रशासन ने लगातार 8 दिनों तक पक्षकारों से समझाइश कर सहमति के लिए प्रेरित किया। सहमति प्रदान करने के बाद उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार ने तहसीलदार रवि शेखर चौधरी को बंटवारे हेतु रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये। राजस्व दल ने एक ही दिन में बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की। जिसके बाद 28 खसरों की कुल 192 बीघा भूमि का 59 खातेदारों के बीच सफलतापूर्वक बंटवारा किया गया। बंटवारे के बाद 59 खातेदारों के 300 से ज्यादा परिजन खुश नजर आए, उन्होंने इन शिविरों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का आभार जताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जयपुर जिले में 8 जुलाई 2025 तक आयोजित 466 शिविरों में कुल 46 लाख 16 हजार 586 तरह के कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन किया गया।

जिला परिषद की बैठक में नहीं आए कलेक्टर-एसपी

अलवर। अलवर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की अध्यक्षता में शुरू की गई। लेकिन कुछ देर बाद ही सरिस्का के सीटीएच मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष व उनके साथ कई पार्षद बैठक का बहिष्कार कर बाहर आ गए। उससे पहले बैठक में एसपी व कलेक्टर सहित अन्य अफसरों के नहीं आने पर विरोध जताया गया।

मीटिंग का बहिष्कार करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सीटीएच (क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट) का सबने विरोध किया है। इसमें बड़े माफिया है उनकी मिलीभगत के कारण सीटीएच को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका दिल्ली तक विरोध होगा। यह जन आंदोलन बनेगा। विधायक ललित यादव और मांगीलाल ने कहा कि बड़े लोगों के दबाव में आकर सीटीएच बदलना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मीटिंग में कलेक्टर एसपी तक नहीं आ रहे। जूली ने कहा कि पांच जनों को छोडकर सबने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। यहां 49 पार्षद, 11 विधायक, तीन सांसद व प्रधान हैं। लेकिन अधिकतर नहीं है। सरिस्का का नाश करने पर तुले हुए हैं। उसके विरोध में विधायक, प्रधान व पार्षद बहिष्कार कर बाहर आ गए। बैठक में जिला पार्षद जगदीश जाटव ने कहा कि बैठक के लिए 53 अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से आधे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा, न कलेक्टर न एसपी और न ही कोई वरिष्ठ अधिकारी है। यदि यही स्थिति रही तो मैं अगली बैठक में अपना इस्तीफा लेकर आऊंगा। अधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो पार्षद बने रहने का कोई फायदा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, लगता है जैसे यह बैठक जयपुर में ही आयोजित कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी वही बहाना बना रहे हैं। जो अधिकारी आए भी हैं, वे सभी जूनियर हैं, कोई भी सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं है। इस पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और नेता प्रतिपक्ष जूली ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस भेजने के निर्देश दिए।

अलवर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक नेता प्रतिपक्ष टीका राम जुली की मौजूदगी में हुई।

पावटा में हाईवे के सर्विस रोड पर बन गए जानलेवा गड्ढे

पावटा में सर्विस रोड पर हुए जानलेवा गड्ढों से हादसे की आशंका बनी रहती है।

पावटा । राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के सर्विस रोड पर वाहन चालक मुश्किल भरा सफर कर रहे हैं। बारिश से मुख्य मार्ग सहित सर्विस रोड की भी हालत खराब हो गई है। सर्विस रोड तो जगह-जगह तालाब नजर आ रही है। मुख्य मार्ग पर जहां कई जगह पैचवर्क उखड गए हैं वहीं सर्विस रोड पर तो आवागम मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से सर्विस रोड पावटा फ्लाईओवर के पास बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर गया है। वाहन तेजी से चलाते हुए जब गड्ढों के निकट आते हैं तो अचानक ब्रेक लेने के प्रयास में संतुलन बिगड जाता है। यह तो संयोग ही अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यदि सर्विस रोड में सुधार न हुआ तो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सड़कों पर गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 की सर्विस रोड पर जगह-जगह हो रहे जानलेवा गड्ढों हो रहे है। लेकिन एनएचएआई एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जिससे बड़ा हादसे होने का भय बना हुआ है। आलम यह है कि पावटा नहर रोड फ्लाइओवर से पावटा की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर करीब दो से तीन फीट के गड्ढे हो रहे है जिसमें बारिश के बाद पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नही देते है और उसमें दुपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे है। सर्विस रोड पर जानलेवा गड्ढों से हादसे की आशंका बनी हुई है लेकिन जिम्मेदार आंखे बंद कर मौन बैठे हुए हादसे का इंतजार कर रहे है।

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांक : पट्टा शा./न.नि.भ./2025-26/6625 दिनांक : 8.7.25
सार्वजनिक सूचना
नगर निगम भरतपुर द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पटटा क्रमांक 10851 दिनाक 27.01.2022 श्री गुलशन सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, निवासी कसाई गली बुद्ध की हाट, वार्ड नं. 41 भरतपुर को भूखण्ड क्षेत्रफल 73.78 वर्गमीटर का जारी किया गया था। तदोपरान्त पटटाधारक द्वारा उक्त पटटे को पंजीकृत कराकर उक्त भूखण्ड जरिये वयनामा दिनांक 18.01.2025 से श्री नारायण सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, जाति ग्वारिया सिक्ख, निवासी गंगा मन्दिर कसाई गली, भरतपुर को विक्रय कर दिया गया है। अब आवेदक श्री नारायण सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण कराना चाहते है। निगम द्वारा नाम हस्तान्तरण की अग्रिम कार्यवाही की जानी है। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नाम हस्तान्तरण आवेदक के पक्ष में किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। **प्रभारी अधिकारी, नगर निगम, भरतपुर**

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांक : पट्टा शा./न.नि.भ./2025-26/ दिनांक :-
सार्वजनिक सूचना
नगर निगम भरतपुर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत स्टेट ग्रान्ट का पटटा 10902 दिनांक 27.1.2022 श्री लक्ष्मण पुत्र गंगोला निवासी अनाह गेट बजरिया भरतपुर के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारक की मृत्यु दिनांक 17.08.2022 को हो जाने उपरान्त उनके वारिसानों में श्रीमती गुडडी पत्नि स्व. लक्ष्मण, अशोक, विनोद, सूरज सैनी पुत्रगण स्व. लक्ष्मण व आशा पुत्री स्व. लक्ष्मण द्वारा जरिये रिलीजडीड दिनांक 23.9.2023 से उक्त भूखण्ड आवेदक मनोज सैनी पुत्र स्व लक्ष्मण निवासी अनाह गेट बजरिया, भरतपुर के हक में कर दिया गया है। आवेदक श्री मनोज सैनी पुत्र स्व. लक्ष्मण द्वारा रिलीजडीड, तहसीलदार प्रमाणित सजरा, शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। निगम द्वारा नामान्तरण की अग्रिम कार्यवाही की जानी है। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नाम हस्तान्तरण आवेदक के पक्ष में किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
प्रभारी अधिकारी, नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
सार्वजनिक सूचना
क्रमांक : पट्टा शा०/न.नि.भ./2025-26/6629-630 दिनांक : 08.07.2025
नगर निगम भरतपुर द्वारा धारा 69-ए के तहत पट्टा क्रमांक 1911 दिनांक 26.05.2025 श्रीमती सत्यवती शर्मा पत्नि स्व० श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, निवासी वार्ड नं. 36, नमक कटरा, माली मौहल्ला, भरतपुर को भूखण्ड क्षेत्रफल 139.77 वर्गमीटर का जारी किया गया था। तदोपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त पट्टे को पंजीकृत कराकर उक्त भूखण्ड जरिये वयनामा दिनांक 27.06.2025 से श्रीमती सीमा पत्नि श्री बृजेन्द्र मीणा, निवासी सुरजीत स्कूल के पास, नमक कटरा, भरतपुर को विक्रय कर दिया गया है। अब आवेदिका श्रीमती सीमा पत्नि श्री बृजेन्द्र मीणा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण कराना चाहती हैं। निगम द्वारा नाम हस्तान्तरण की अग्रिम कार्यवाही की जानी है।
उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नाम हस्तान्तरण आवेदिका के पक्ष में किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
प्रभारी अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नं.ई-11, (यूनिट) नम्बर 4, लाल बहादुर नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 350 वर्गगज है, उक्त सम्पत्ति का आवंटन रामजीपुरा हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लि. जयपुर, रजिस्ट्रेशन नम्बर 2361/एल द्वारा जरिये आवंटन पत्र 08.12.1991 को रेणु गौड़ के नाम से आवंटित किया गया, रेणु गौड़ का स्वर्गवास 01.06.2022 को हो गया रेणु गौड़ के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान उनके पति विष्णु कुमार गौड़ पुत्री मणि गौड़ एवं पारूल गौड़ हुये। इस प्रकार विष्णु कुमार गौड़, मणि गौड़ एवं पारूल गौड, उक्त सम्पत्ति के संयुक्त रूप से मालिक, स्वामी, अधिकारी, काबिज हुए। अब रीतेश बड़ाया एवं शिल्पी बड़ाया उक्त सम्पत्ति को क्रय कर रहे है जिस बाबत् मेरे अभिभाष्य वित्तीय संस्था HDFC Bank Ltd. से ऋण ले रहे हैं, सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जे, अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करे अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।
दिनांक 09.07.2025 केदार राम, एडवोकेट
शॉपनं.03, प्लॉट नं.2/536, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर-302021
मो. 9460943434, 9799170016

आम सूचना दि. 08.07.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह, निवासी एस-1, खातीपुरा रोड़, एन.बी.सी. के सामने, शान्ति नगर, जयपुर-302006 (राज.) स्वयं के पति श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह के स्वामित्व की अचल सम्पती आवासीय प्लाट नं. एस-1, शान्ति नगर, हटवाड़ा रोड़, जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल 119 वर्गमीटर है जो कि निर्माण अवस्था में है तथा जिसे मेरी मुवक्किल श्रीमती कृष्णा कंवर, मेरी मुवक्किल के पति श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह, मेरी मुवक्किल के पुत्र श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह तथा मेरी मुवक्किल की पुत्रवधु श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री कंवरपाल सिंह ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसके ऋण खाता सं. 617803220 है, उक्त श्री जगदीश सिंह उर्फ जगदीश सिंह चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह का स्वर्गवास 04.03.2017 को हो चुका है तथा श्री जगदीश सिंह उर्फ जगदीश सिंह चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह की माताजी श्रीमती लोहका कंवर पत्नी श्री हरनाथ सिंह का स्वर्गवास दिनांक 14.02.1980 को हो चुका है, श्री जगदीश सिंह उर्फ जगदीश सिंह चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान में मेरी मुवक्किल श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह तथा मेरी मुवक्किल के तीन पुत्र (1) कंवरपाल सिंह, (2) श्री सत्यपाल सिंह व (3) श्री जयपाल सिंह पुत्रान स्व. श्री जगदीश सिंह, व मेरी मुवक्किल की एक पुत्री श्रीमती सुमन चौहान पत्नी श्री रविन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री जगदीश सिंह है, इनके अलावा स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह उर्फ जगदीश सिंह चौहान पुत्र श्री हरनाथ सिंह का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नही है, चूंकि मेरी मुवक्किल श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी स्व. श्री जगदीश सिंह, मेरी मुवक्किल के पति श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह, मेरी मुवक्किल के पुत्र श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह तथा मेरी मुवक्किल की पुत्रवधु श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री कंवरपाल सिंह के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरी मुवक्किल स्वयं के पति श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी- 25, भगवान दास रोड़, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहती है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरुद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
(श्याम सुन्दर बावला) एडवोकेट,
6/48, मालवीय नगर, जयपुर-302017, मो.9829218044

अन्तिम सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्रीमती अजीज बानो पत्नी श्री शौकत अली टाक पुत्र श्री गन्नी खां टाक, श्री आसीफ अली टाक व श्री आफताब टाक पुत्रान श्री शौकत अली टाक, पता- डी-33, सरस्वती मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान, अन्य पता- 414, पार्क स्ट्रीट, संजय नगर-बी, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान के पति/ पिता श्री शौकत अली टाक के द्वारा स्वअर्जित की गई सम्पति एवं जरिये विरासतन भाई- बटवारे/ पारिवारिक समझोते या अन्य किसी भी प्रकार से अर्जित की गई चल एवं अचल सम्पति, जो कि नोहर, हनुमानगढ, बीकानेर, जयपुर एवं अन्य कही भी स्थित है, के सम्बध मे मेरे अभिभाष्यगण सर्वसाधारण को सूचित करते है, कि मेरे अभिभाष्यगण के पति/ पिता विगत काफी वर्षो से मानसिक व शारिरिक रूप से अस्वस्थ है, मेरे अभिभाष्यगण के पति/ पिता विगत काफी वर्षो से अपना भला- बुरा समझने मे असमर्थ है, जिस कारण मेरे अभिभाष्यगण के पति/ पिता की स्वअर्जित की गई सम्पति एवं जरिये विरासतन भाई- बटवारे/ पारिवारिक समझोते या अन्य किसी भी प्रकार से अर्जित की गई चल एवं अचल सम्पति, जो कि नोहर, हनुमानगढ, बीकानेर, जयपुर एवं अन्य कही भी स्थित है, के बाबत कोई भी इकरारनामा/ अनुबंध- पत्र, वसीयत, विक्रय-पत्र उनके कुटरचित हस्ताक्षरो से निपादित नही करे और ना ही सम्पति को उनके कुटरचित हस्ताक्षरो से किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण- अन्तरण करे और ना ही उनके कुटरचित हस्ताक्षरो से सम्पति मे कोई भार उत्पन्न करे, जो भी कि मेरे अभिभाष्यगण के पति/ पिता के कुटरचित हस्ताक्षरो की आड मे कोई अन्तरण- हस्तान्तरण दस्तावेज निष्पादित करता है या उपरोक्त वर्णित स्थान पर स्थित सम्पति पर कोई भार उत्पन्न करता है या उनके पुराने कागज पर प्रवचना के तहत प्राप्त हस्ताक्षर की आड मे कोई कार्यवाही करता है, वह मेरे अभिभाष्य के पति/पिता के उपरोक्त सम्पति मे प्राप्त हक, अधिकार के प्रति प्रारम्भतः शून्य व बेअसर है। मेरे अभिभाष्य के पति/पिता द्वारा स्वअर्जित की गई सम्पति एवं जरिये विरासतन भाई- बटवारे/ पारिवारिक समझोते या अन्य किसी भी प्रकार से अर्जित की गई चल एवं अचल सम्पति, जो कि नोहर, हनुमानगढ, बीकानेर, जयपुर एवं अन्य कही भी स्थित है, को विक्रय/ बख्शीश/ बंटवारा/ या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने की कतई मंशा नही रही है। इस बाबत मेरे अभिभाष्यगण द्वारा दिनांक 03.07.2025 को राष्ट्रदूत सामाचार पत्र मे सूचना प्रकाशित की गई थी, जो टंकणीय त्रुटि से गलत रूप से प्रकाशित हो गई है, इस